

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 71/2024 वाद
GCMS No. - 2024/222

1. मो. करीम पुत्र मो. रफीक मंसुरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादी

बनाम

1. मो. उमर पुत्र मो. रफीक खान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. जगदीश पिता मोती जी बंजारा निवासी नया खेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजू पिता मोती जी बंजारा निवासी नयाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. रामीबाई पत्नी मथुरालाल जी ब्राह्मण निवासी धीनवा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- हस्तीमल सेठिया - अधिवक्ता वादी
2- बाबूलाल प्रजापत- अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1 से 3

:: निर्णय ::

दिनांक :- 16.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादी व प्रतिवादी स. 1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात वाके मौजा उंचा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी न. 123 रकबा 3.3500 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 13.11.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री मोहम्मद करीम पिता मो. रफीक मंसुरी मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
123 पूर्वी मध्य	0.38	चाही 4	4.56

कुल किता-2 0.38 हैक्टेयर

2 श्री मोहम्मद उमर पिता मो. रफीक खान मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
123 पश्चिम	2.11	चाही 34	25.32

कुल किता-1 2.11 हैक्टेयर

3 रामीबाई पत्नी मथुरालाल ब्राह्मण सा. धीनवा खातेदार बैंक रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
123 पश्चिम मध्य	0.44	चाही 4	5.28

कुल किता-1 0.44 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

4 श्री जगदीश, राजु पिता मोती बंजारा सा. नयाखेड़ा धीनवा खातेदार
 आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
 123 पूर्वी 0.42 चाही 4 5.04

कुल किता-1 0.42 हैक्टयेर

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1 श्री मोहम्मद करीम पिता मो. रफीक मंसुरी मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार
 आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
 123 पूर्वी मध्य 0.38 चाही 4 4.56

कुल किता-2 0.38 हैक्टयेर

2 श्री मोहम्मद उमर पिता मो. रफीक खान मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार
 आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
 123 पश्चिम 2.11 चाही 34 25.32


कुल किता-1 2.11 हैक्टयेर

3 रामीबाई पत्नी मथुरालाल ब्राह्मण सा. धीनवा खातेदार बैंक रहन बदस्तुर
 आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
 123 पश्चिम मध्य 0.44 चाही 4 5.28

कुल किता-1 0.44 हैक्टयेर


4 श्री जगदीश, राजु पिता मोती बंजारा सा. नयाखेड़ा धीनवा खातेदार
 आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
 123 पूर्वी 0.42 चाही 4 5.04

कुल किता-1 0.42 हैक्टयेर



तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (विकास पंचोली)
 सहायक कलक्टर
 निम्बाहेडा
 न्यायालय सहायक कलक्टर
 निम्बाहेडा

प्रकरण संख्या 71/2024 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. मो. करीम पुत्र मो. रफीक मंसुरी मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
-वादी

बनाम

1. मो. उमर पुत्र मो. रफीक खान जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. जगदीश पिता मोती जी बंजारा निवासी नया खेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजू पिता मोती जी बंजारा निवासी नयाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. रामीबाई पत्नी मथुरालाल जी ब्राह्मण निवासी धीनवा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्री राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज०।

-प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री हस्तीमल सेठिया - अधिवक्ता वादी
2- श्री बाबूलाल प्रजापत - अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1 से 3

:: निर्णय ::

दिनांक :-16.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री आशाराम प्रजापत वादी अधिवक्ताखे बाबूलाल प्रजापत अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1 से 3, पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात उंचा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी न. 123 रकबा 3.3500 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 13.11.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-



1 श्री मोहम्मद करीम पिता मो. रफीक मंसुरी मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
123 पूर्वी मध्य	0.38	चाही 4	4.56

कुल किता-2 0.38 हैक्टेयर

2 श्री मोहम्मद उमर पिता मो. रफीक खान मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
123 पश्चिम	2.11	चाही 34	25.32

कुल किता-1 2.11 हैक्टेयर

3 रामीबाई पत्नी मथुरालाल ब्राह्मण सा. धीनवा खातेदार बैंक रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
123 पश्चिम मध्य	0.44	चाही 4	5.28

कुल किता-1 0.44 हैक्टेयर


सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

4 श्री जगदीश, राजु पिता मोती बंजारा सा. नयाखेड़ा धीनवा खातेदार
 आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) किरम लगान
 123 पूर्वी 0.42 चाही 4 5.04

कुल किता-1 0.42 हैक्टेयर

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01.2025 को जारी की गई।
 मुहर


 दस्तखत
 ओहदा
 सहायक कलेक्टर
 निम्बाहेड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
.....				
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।